प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

07 मई 2021

विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है।

2. आरआरए 2.0 की कार्य संरचना में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में आरआरए का समर्थन करने के लिए आरआरए ने एक सलाहकार समूह का गठन किया है जिसमें अनुपालन अधिकारियों सहित विनियमित संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। यह समूह उन क्षेत्रों / विनियमों / दिशानिर्देशों / विवरणियों जिन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, की पहचान करके आरआरए को सहायता करेगा, और आरआरए को सिफारिशें / सुझाव सहित रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करेगा। समूह की संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री एस.जानकीरामन, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2.	श्री टी.टी. श्रीनिवासराघवन, पूर्व एमडी और गैर-कार्यपालक निदेशक, सुंदरम फाइनेंस	सदस्य
3.	श्री गौतम ठाकुर, अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड	सदस्य
4.	श्री सुबीर साहा, समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	सदस्य
5.	श्री रवि दुवुरु, अध्यक्ष एवं सीसीओ, जन लघु वित्त बैंक	सदस्य
6.	श्री अबदान विक्काजी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, एचएसबीसी इंडिया	सदस्य

3. अपने प्रारंभिक कार्य को करने के लिए, समूह ने सभी विनियमित संस्थाओं, उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सुझाव और प्रतिक्रिया 15 जून 2021 तक ई-मेल पर विषयवस्तु 'आरआरए के सलाहकार समूह को सुझाव' के साथ दे सकते हैं।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/179